नागरिक अधिकार - पत्र

सत्यमेव जयते

वस्त्र आयुक्त का कार्यालय

वस्त्र मंत्रालय

भारत सरकार

यह अधिकार पत्र हमारे लक्ष्य, मूल्यों तथा मानकों, एवं

विश्व के वस्त्र {टेक्सटाइल} मानचित्र पर भारतीय

वस्त्रोद्योग के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त करने

के लिए संगठन के रूप में हमारी

प्रतिबद्धता की घोषणा है ।

हमारा लक्ष्य

हम निम्नलिखित कार्य करेंगे :-

- विश्व के वस्त्र {टेक्सटाइल} मानचित्र पर भारतीय वस्त्रोद्योग को शीर्ष स्थान प्राप्त कराने के लिए उसे सुविधाएं प्रदान करना ।
- देश की वस्त्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकारी नीतियों के निर्धारण और कार्यान्वयन में सहायता करना ।

हमारा अधिदेश

निम्नलिखित कार्यों द्वारा भारतीय वस्त्रोद्योग का विकास करना :-

- उद्योगों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन द्वारा ।
- उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए और विश्व बाजार में भागीदारी को बढ़ाने के लिए प्रभावी ढ़ंग से प्रतिस्पर्धा के लिए उद्योग को प्रौद्योगिकीय ढंग से सक्षम बनाकर ।
- नीतियाँ बनाने और पहल करने के लिए सरकार को तकनीकी परामर्श के रूप में सहायता देकर ।

निम्नलिखित कार्यों के माध्यम से विस्तार और संवर्धन किया जाएगा :-

- संसाधनों के संदोहन और जानकारी के प्रति जागरूकता और आधुनिकीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विकेन्द्रीकृत उपक्रमों को बढावा देते और सहायता करते हुए ।
- कताई, बुनाई, संसाधित करने, गारमेंट उत्पादन, तकनीकी वस्त्रोद्योगों और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराकर ।

निम्नलिखित द्वारा सूचना का प्रसार :-

- भारतीय वस्त्रोद्योग के संबंध में सांख्यिकी आंकड़ें संकलित करना और एक डाटा बैंक बनाना ।
- उद्योग और ट्रेड को उनके फायदे के लिए बाजार आसूचना और वैज्ञानिक अनुसंधान परिणाम और आर्थिक अनुसंधान संकेतों का प्रसार करते हुए ।

विनियम और मानक :

- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जरूरतों की पूर्ति के लिए उद्योग और उत्पादों के संबंध में रूपरेखा निर्धारित करना और बैंच मार्किग मानक निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए औद्योगिक इंकाइयों, विशेषकर लघु उद्योग सेक्टरों की सूचना और परामर्श से सहायता करना ;

- उपभोक्ताओं के फायदे के लिए आवश्यक समझे गए वस्त्रोत्पादों का विनियमन, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण ।

निम्नलिखित द्वारा भारतीय वस्त्र मशीनरी उद्योग का विकास :-

- मशीनरी उद्योग की उत्पादन क्षमताओं के प्रौद्योगिकीय संवर्धन के लिए मशीनरी उद्योग को, और महसूस की गई जरूरतों के आधार पर उसकी अपनी क्षमता के विस्तार के लिए सक्षम बनाना ।

- वहन करने योग्य कीमतों पर उच्च प्रौद्योगिकी मशीनरी के निर्माण के लिए देश की अपनी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए आर एवं डी की सहायता करना और सुविधाएं उपलब्ध करना ।

हमारी प्रतिबद्धता :

हम निम्नलिखित कार्य करेंगे :-

- अपना काम पूरी लगन, तत्परता और दक्षता से करना ।

- उद्योग और उद्यमियों के साथ शालीन, सहयोग और सहानुभूतिपूर्ण परस्पर सहयोग करना ।

- उद्योग की कठिनाइयों को समझने और प्रोत्साहित करने के लिए सद्‌भावपूर्वक प्रयास करना और उनके निपटारे के लिए शीघ्र और उपयुक्त कदम उठाना ।

- हमें उपलब्ध कराई गई निजी और व्यापार से संबंधित सूचना को गोपनीयता से संभालना ।

- अपनी कार्रवाईयों और निर्णयों के संबंध में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करना ।

हमारे संसाधन :

- वस्त्र उद्योग को तकनीकी और सुविधा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए शिक्षित और अनुभवी कर्मियों का एक तकनीकी प्रभाग ।
- सांख्यिकी, आर्थिकी, लागत - निर्धारण और आसूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के सुशिक्षित कार्मिकों की अर्थिकी और सांख्यिकी शाखा ।
- कम्प्यूटर, ई - मेल और वेब साइट सुविधाओं से युक्त अद्यतन हाई-टेक आर्थिक अनुसंधान और बाजार आसूचना इकाई (इ.आर.एम.आई.यू) (ERMIU) ।
- निर्यात संवर्धन, उद्योग समर्थन और शिकायत निवारण क्षेत्र में समर्पित और शिक्षित कार्मिक ।
- आठ क्षेत्रीय कार्यालयों और सहयोगी संगठनों के माध्यम से व्यापक पहुँच बनाकर ।
- विकेन्द्रीकृत पावरलूम और सहयोगी सेक्टरों को विविध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 44 पावरलूम सेवा केन्द्र ।

देश भर में हमारा कार्यक्षेत्र विस्तार :

- मुख्यालय, न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, 48 न्यू मरीन लाइन्स, मुंबई : 400 020.
- अमृतसर, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, कोइम्बतूर, कानपुर, मुंबई और नोएडा में 8 क्षेत्रीय कार्यालय ।
- हमारे, द्वारा अमृतसर, हैदराबाद, बुरहानपुर, कोलकता, कटक, इरोड, गया, जम्मू, किशनगढ, मालेगांव, मउुनाथभंजन, सूरत और त्रिचूर में 13 पावरलूम सेवा केन्द्र चलाए जा रहे हैं ।

वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन और राज्य सरकार अभिकरणों द्वारा चलाए जा रहे और हमारे पर्यवेक्षणाधीन चलाए जा रहे 31 केन्द्र निम्नलिखित है :-

क्र. सं.	**स्थान**	**द्वारा चालित**	**क्र. सं.**	**स्थान**	**द्वारा चालित**
1.	अहमदाबाद	अटीरा ATIRA	16	गुवाहाटी	इजिरा IJIRA
2.	ईचलकरंजी	बिट्रा BTRA	17	भिवंडी I	ससमिरा SASMIRA
3.	माधवनगर	"	18	भिवंडी II	"
4.	सोलापूर	"	19	बंगलौर	सिट्रा SITRA
5.	डोलका	मंत्रा MANTRA	20	बेतागिरी	"
6.	पांडेसरा	"	21	डोडबालपुर	"
7.	सचिन	"	22	कोमाराप-लयम	"
8.	भीलवाड़ा	निट्रा NITRA	23	करूर	"
9.	जबलपुर	"	24	नगारी	"
10.	जयपुर	"	25	पलादम	"
11.	कानपुर	"	26	सालेम	"
12.	लुधियाना	"	27	सोमानुर	"
13.	मेरठ	"	28	संकरनकोविल	"
14.	पानीपत	"	29	तिरूचेनगोडे	"
15.	टांडा	"	30	हैद्राबाद	आंध्र प्रदेश सरकार
			31	जबलपुर	मध्य प्रदेश सरकार

हम निम्नलिखित के माध्यम से संपर्क भी करते हैं :-

- वस्त्र समिति, मुंबई और इसके 30 फील्ड कार्यालयों द्वारा ।
- वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन के माध्यम से ।
- वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ।
- केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर ।

सूचना और सेवाएं:-

{क} वैब साइट : http:// www.ermiul.bom.nic.in

{ख} प्रकाशन:

- वस्त्र सांख्यिकी का संग्रह {मूल्य आधारित प्रकाशन}
- आधारभूत वस्त्र सांख्यिकी
- वस्त्रोद्योग के बारे में आधारभूत तथ्य
- कपड़ा कारखानों की सूची {दो वर्ष में एक बार}
- वस्त्र परिधान {गृह - पत्रिका}

{ग} क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से सेवाएं :

- उद्योग एवं व्यापार के मार्गदर्शन और सुविधाएं ।
- सूचना और कमर्शियल आसूचना का प्रसार ।
- पी.एस.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण, परीक्षण, तकनीकी परामर्श, आरेखन सहायता आदि से विकेन्द्रीकरण पावरलूम और सहयोगी सेक्टरों को विस्तार सेवाएं ।

शिकायतें और शिकायतों के कारण :

- हम जनता की शिकायतों और सुझाओं पर ध्यान देते हैं और उन पर अमल करते हैं । जहां तक संभव हो सके, हम शिकयतकर्ता से/शिकायत के संबंध में अंतिम जवाब 30 दिन के अन्दर देते हैं ।

- निदेशक {प्रशासन एवं सतर्कता} को जनअधिकारी {पी.जी.ओ} नियुक्त किया गया है । इस कार्यालय के प्रत्येक तल/विंग के प्रवेश द्वारा पर उनके बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाती है । यदि आपकी शिकायत का निवारण मुख्यालय के किसी अनुभाग, या किसी भी क्षेत्रीय कार्यालय या किसी भी विद्युत कर्घा सेवा केन्द्र द्वारा संतोषजनक न किया गया हो, तो आप जन-शिकायत अधिकारी मुख्यालय को किसी भी सोमवार को बिना पूर्व अनुमति के या किसी अन्य कार्य दिवस को पूर्व अनुमति से 15.00 बजे से 18.00 बजे तक लिख या मिल सकते हैं ।
- क्षेत्रीय कार्यालय या विद्युत कर्घा सेवा केन्द्र के संबंधित प्रभारी अधिकारी प्रस्तुत लिखित शिकायत की प्रति मुख्यालय में पोस्ट बैग सं. 11500, न्यू सी.जी.ओ. बिल्डिंग, 48 न्यू मरीन लाइन्स, मुंबई : 400 020 को भेज सकते हैं । हम सुनिश्चित करेंगे कि आपकी शिकायत को परम अग्रता के आधार पर लिया जाए ।

आपकी शिकायतों/सुझावों के लिए सतर्कता अनुभाग के नजदीक प्रथम तल के प्रवेश द्वार एक शिकायत पेटी स्थापित कर रखा है । {छुट्टी के दिवस को छोड़कर} प्रतिदिन यह खुला रहता है ।

➢ मौखिक/टेलीफोन शिकायतें भी सुनी जाती हैं ।

➢ सोमवार को "सुविधा दिवस" के रूप में मनाया जाता है, ताकि आप मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं विद्युत कर्घा सेवा केन्द्र के विभिन्न अनुभागों के प्रभारी अधिकारी से बिना पूर्व अनुमति के 15.00 बजे से 18.00 बजे तक मिल सकें ।

किस शिकायत के लिए किससे मिलें :

क्र.सं	प्रयोजन कार्य	किस से मिलें
1.	नीतियों से संबंधित कठिनाइयां/मुद्दे	वस्त्र आयुक्त
➢	{पावरलूम निर्यात सहित} पावरलूम	अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त
➢	निर्यात सवंर्धन/कोटा आंबटन	संयुक्त वस्त्र आयुक्त
➢	प्रवर्तन मामलें	संयुक्त वस्त्र आयुक्त
➢	वस्त्र मशीनरी,आर.एवं डी सहित तकनीकी मामले	अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त{तकनीकी}
➢	कपास {रूई}	संयुक्त वस्त्र आयुक्त{रूई}
➢	ऊन	अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त{तकनीकी}
2.	वस्त्र उद्योग और ट्रेड के संबंध में डाटा/सूचना	संयुक्त वस्त्र आयुक्त{आर्थिकी}
		निदेशक {आर्थिकी एवं सांख्यिकी}

संपर्क फोन:-

1.	**वस्त्र आयुक्त**	022 -22014446/22004510
	फैक्स	22004693/22002495
2.	अपर वस्त्र आयुक्त	22003918
3.	अपर वस्त्र आयुक्त {तकनिकी}	220033721
4.	संयुक्त वस्त्र आयुक्त	22084103
5.	संयुक्त वस्त्र आयुक्त {कॉटन}	22037819
6.	अपर वस्त्र आयुक्त {ऊन}	22033721
7.	निदेशक {आर्थिक एवं सांख्यिकी}	22031508
8.	निदेशक {निर्यात}	22031229
9.	निदेशक {पावरलूम}	22034153
10.	जन शिकायत अधिकारी एवं निदेशक{प्रशासन}	22034134
11.	टेलेक्स	011 - 82425
12.	ई - मेल	Texcom @ mah nic.in
13.	वैब साइट	www.txcindia.com, www.txcindia.gov.in

हमारी वेबसाइट बुलेटिन प्रतिदिन अद्यतन की जाती है ।